

**कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर**

**:- कार्यालय आदेश -:-**

क्रमांक :- 349 /स्था./2018

दिनांक 25/5/2018

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 52/स्था./2014 दिनांक 27.3.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक Gen/XIX/Misc/2002/188 दिनांक 22.1.2004 की पालना में The Sexual harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal), Act-2013 की धारा 4 के तहत इस मुख्यालय पर कार्यरत न्यायालयों के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) निम्नानुसार गठित की जाती है :-

क्र.सं.	नाम	मनोनीत पद
1	श्रीमती सरोज मिट्टा, E.A. & P.A.	अध्यक्ष
2	श्रीमती लक्ष्मी कटारिया, Steno-I	सदस्य
3	श्रीमती रजनी लड़ोईया, Reader-II	सदस्य
4	श्रीमती भावना स्वामी, (अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता)	सदस्य (विधिज्ञाता)

- उक्त अध्यक्ष एवं सदस्यगण गठन की तारीख से तीन वर्ष तक अपना पद धारण करेंगे।
- उक्त कमेटी उपरोक्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये जाने वाले नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करेंगी।
- उक्त तालिका के क्रम संख्या 4 पर अंकित सदस्य ऐसी फीस या भत्तों की हकदार होगी विहित होंगे।
- अधिनियम की धारा 4(5) के अनुसार-

Where the Presiding Officer or any Member of the internal committee

- a) Contravenes the provisions of section 16: or
- b) Has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him: or
- c) He has been found guilty in any disciplinary proceedings or disciplinary proceeding is pending against him: or
- d) Has so abused his position as to render him continuance in office prejudicial to the public interest.

Such Presiding Officer or member as the case may be shall be removed from the committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of the section.

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
श्रीगंगानगर।

दिनांक- /5/2018

क्रमांक :-

प्रतिलिपि ..... को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
श्रीगंगानगर।